न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उग्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 11/2023

रणजीत पुत्र मदनलाल जाति भाट निवासी वार्ड नम्बर—13, चक 33 एल.एल.डब्ल्यू. गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

बनाम

1. पानादेवी धर्मपत्नी मनफूल जाति भाट निवासी वार्ड नम्बर—13, चक 33 एल.एल.डब्ल्यू. गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मदनलाल पुत्र स्व.श्री मनफूल जाति भाट निवासी वार्ड नम्बर—13, चक 33 एल.एल. डब्ल्यू. गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सायरी देवी पुत्री स्व.श्री मनफूल जाति भाट निवासी वार्ड नम्बर—13, चक 33 एल.एल. डब्ल्यू. गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेंट

5. श्योपतराम पुत्र श्री मदनलाल जाति भाट निवासी वार्ड नम्बर—13, चक 33 एल.एल. डब्ल्यू. गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

—तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश इन्तकाल संख्या 1315 दिनांक 16.07.2021, इन्तकाल संख्या 397 दिनांक 25.10.2021 व इन्तकाल संख्या 399 दिनांक 28.10.2021 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा जिसकी रूह से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया। बमुराद मन्सुखी उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः— 1. श्री विनोद कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री विपिन कुमार अभिभाषक सं. 1,2 व 5।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः — 19.06.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के दादा स्व. मनफूल पुत्र श्री हरजीराम के नाम चक 35 एलएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 24/235 किला नम्बर 3, 4, 7, 8 पत्थर नम्बर 29/236 किला नम्बर 13 ता 18, 23 कुल 2.784 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 24/235 के किला नम्बर 5, 6, 14, 15 पत्थर नम्बर 29/236 किला नम्बर 1 ता 8 तादादी 3.036 हैक्टेयर व इसी चक के पत्थर नम्बर 25/235 के किला नम्बर 9/2, 11, 12 तादादी .632 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 27/228 के किला नम्बर 17, 18, 24 तादादी .759 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 27/229 के किला नम्बर 4, 5/.228, 6/.228, 7, 14, 15/.228 तादादी 1.518 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 25/235 के किला नम्बर 9/1/.127, 10 तादादी .380 हैक्टेयर तथा चक 3 टी.के.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 21/221 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.795 हैक्टेयर कुल तादादी 12.904 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलांट के दादा स्व. मनफूल के पिता हरजीराम व माता शांतिदेवी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उपरोक्त कृषि भूमि उनकी स्वःअर्जित सम्पति थी जिसकी

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

वसीयत स्व. हरजीराम द्वारा अपने समस्त पुत्रों के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवाई हुई थी जिसके आधार पर स्व. हरजीराम के फौत हो जाने के पश्चात अपीलांट के दादा मनफूल को बहिस्सा बराबर 1/8 हिस्सा अर्थात 1.613 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई। उक्त कृषि भूमि जो कि संयुक्त खाता में दर्ज थी, के सम्बंध में अपीलांट के दादा स्व. मनफूल के भाई स्व. भगवानाराम के वारिसान द्वारा माननीय उपखण्डाधिकारी, पीलीबंगा के समक्ष एक वाद पत्र 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट के दादा मनफूल भी बतौर प्रतिवादी पक्षकार थे। उक्त वाद पत्र में वादीगण द्वारा अपने समस्त हक व हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही थी। दौराने वाद पत्र अपीलांट के दादा स्व. मनफूल का देहान्त हो गया जिसके कारण उनके तीन वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 को बतौर पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया, लेकिन अपीलांट के दादा स्व.मनफूल द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा की वसीयत रेस्पोडेंट संख्या–2 मदनलाल पुत्र स्व. मनफूल व 1/2 हिस्सा की अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–5 श्योपतराम के पक्ष में दिनांक 13.07.2012 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर सुपुर्द की हुई थी। उक्त वाद पत्र का अपीलांट को कभी कोई इल्म नहीं रहा बल्कि रेस्पोडेंट संख्या–2 मदनलाल जो कि उपरोक्त वाद पत्र में स्व.मनफूल के देहान्तोपरांत बतौर प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया हुआ था, के द्वारा कभी कोई सूचना अथवा वसीयत के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व, पीलीबंगा द्वारा उपरोक्त वाद पत्र के सम्बंध में निर्णय दिनांक 27.04.2021 पारित कर वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया तथा शेष रकबा यथावत रखने का आदेश जारी किया गया, लेकिन उक्त आदेश का रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करते समय स्व. मनफूल के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का भी नामान्तरण रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में दर्ज कर दिया जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं था। स्व. मनफूल द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में दिनांक 13.07.2012 को वसीयत निष्पादित की हुई थी तथा स्व. मनफूल द्वारा अपने हक व हिस्सा में से कुछ कृषि भूमि का बेचान भी किया जा चुका था। रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा उक्त नामान्तरण की कार्यवाही कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित की है जिससे व्यथित होकर अपीलांट निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश के उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा अपने उक्त नामान्तरण आदेश में डिक्री का आधार लिया गया है जबकि न्यायालय उपखण्डाधिकारी द्वारा पारित डिक्री केवल मात्र उक्त वाद पत्र में वादीगण के पक्ष में ही जारी की हुई थी शेष रकबा यथावत रखे जाने के आदेश जारी किये हुए थे जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से कोई अवलोकन नहीं किया गया व ना ही स्व. मनफूल के समस्त वारिसान को इस सम्बंध में सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये व बिना सुने पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। स्व. मनफूल पुत्र श्री हरजीराम द्वारा अपनी स्वःअर्जित सम्पति की वसीयत अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–5 के पक्ष में 1/2–1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या–2 के पक्ष में 1/2 हिस्सा निष्पादित की हुई थी जिनको उक्त नामान्तरण की कार्यवाही में कभी कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया। स्व. मनफूल द्वारा की हुई वसीयत के आधार पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या–5 उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा के हकदार थे। रेस्पोडेंट संख्या–3 द्वारा भी पूर्व में स्व. मनफूल से प्राप्त होने वाली कृषि भूमि के हक व हिस्सा का परित्याग किया हुआ था तथा स्व.मनफूल के द्वारा किसी प्रकार से उक्त सम्पति के वसीयत अथवा दान के सम्बंध में सहमति प्रदान की हुई थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 को उक्त वसीयत के सम्बंध में पूर्ण जानकारी थी, लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–4 के समक्ष समस्त कार्यवाही छिपे तौर पर अपीलांट को बिना सूचना दिये करवाई है जो कतई गलत, विधि

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

विरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय उक्त कृषि भूमि की कब्जा काश्त की भी कोई जांच नहीं की। उक्त कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 5 के कब्जा काश्त में मुताबिक वसीयत चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 का कोई कब्जा काश्त नहीं है व ना ही उनका कोई हिस्सा है इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं रही है। रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी राजस्व के निर्णय व डिक्री में वर्णित स्व.मनफूल के वारिसान का नाम दर्ज होने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं। जबकि रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई व ना ही अपीलांट को इस बाबत कोई सूचना दी गई व ना ही कब्जा के सम्बंध में कोई जांच पड़ताल की। अपीलांट अर्सा कुछ दिवस पूर्व उक्त कृषि भूमि का मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करवाने की कार्यवाही करने हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब उक्त जमाबंदी में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 का नाम दर्ज होने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने दिनांक 09.05.2023 को उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त की जिससे अपीलांट को समस्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त जानकारी के दिवस से अपील अपीलांट अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित आदेश इन्तकाल संख्या 1315 दिनांक 16.07.2021, इन्तकाल संख्या 397 दिनांक 25.10.2021 व इन्तकाल संख्या 399 दिनांक 28.10.2021 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट्स सं. 01, 02 व 5 की ओर से विपिन कुमार उपस्थित, रेस्पो. सं. 03 अनुपस्थित, रेस्पो. सं. 04 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित आदेश इन्तकाल संख्या 1315 दिनांक 16.07.2021, इन्तकाल संख्या 397 दिनांक 25.10.2021 व इन्तकाल संख्या 399 दिनांक 28.10.2021 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 व 05 ने अपनी बहस में कथन किये कि स्व. मनफूल ने अवने जीवन काल में वसीयत की थी जिसमें से 1/2 हिस्सा की रेस्पोडेंट सं. 02 व शेष 1/2 हिस्सा की वसीयत अपीलाट व रेस्पो. संख्या 05 के पक्ष में निष्पादित की थी। लेकिन उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा के समक्ष विचाराधीन दावा में स्व. मनफूल पक्षकार था। जिसकी दौराने दवा मृत्यु हो जाने के कारण उसमे विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। जो वाद पत्र डिक्री हो जाने के पश्चात वारिसान के नाम दर्ज हो गई। जबकि स्व. मनफूल के द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट व 2 व 5 पूर्णत्य हकदार है तथा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त वसीयत से हम रेस्पोडेंट्स पूर्णतयः सहमत है तथा उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जाता है तो हम रेस्पोडेंट्स को कोई ऐतराज नही है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा जारी आदेश इन्तकाल संख्या 1315 दिनांक 16.07.2021, इन्तकाल संख्या 397 दिनांक 25.10.2021 व इन्तकाल संख्या 399 दिनांक 28.10.2021 जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. उक्त अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 27.04.2021 की पालना में तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा द्वारा इन्तकाल संख्या इन्तकाल संख्या 1315 दिनांक 16.07.2021, इन्तकाल संख्या 397 दिनांक 25.10.2021 व इन्तकाल संख्या 399 दिनांक 28.10.2021 जारी किये गये है।
2. अपीलांट के दादा स्व. मनफूल द्वारा अपने जीवनकाल में नोटेरी पब्लिक से तस्दीक वसीयत दिनांक 13.07.2012 करवायी गयी। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट ने अनुतोष चाहा है। अपीलांट द्वारा उक्त वसीयत प्रोबेट नही करवायी है। उक्त वसीयत का अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)